# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा (राज)

## पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत आर.ए.एस.

| मिसल न. | तारीख दायरा | तारीख फैसला |
|---|---|---|
| 25 / 2021 | 02 / 03 / 2021 | 19 / 05 / 2023 |

1. कल्याणीबाई पत्नि स्व. हुकमचन्द जाति कलाल निवासी श्योपुर तह. व जिला श्योपुर (म.प्र)
2. जसोदा पुत्री हुकमचन्द जाति कलाल निवासी श्योपुर तह. व जिला श्योपुर (म. प्र.)
3. दामोदर पुत्र हुकमचन्द जाति कलाल निवासी श्योपुर तह. व जिला श्योपुर (म.प्र.)
4. धनराज पुत्र हुकमचन्द जाति कलाल निवासी श्योपुर तह. व जिला श्योपुर (म.प्र.)
5. पूरनचंद पुत्र हुकमचन्द जाति कलाल निवासी श्योपुर तह. व जिला श्योपुर (म.प्र.)
6. राधेश्याम पुत्र हुकमचन्द जाति कलाल निवासी श्योपुर तह. व जिला श्योपुर (म.प्र.)
7. लालचन्द पुत्र हुकमचन्द जाति कलाल निवासी श्योपुर तह. व जिला श्योपुर (म.प्र.)
8. सावित्रीबाई पुत्री हुकमचन्द जाति कलाल निवासी श्योपुर तह. व जिला श्योपुर (म.प्र.)

वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

प्रतिवादी

## वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए, 188 आर. टी. एक्ट

## निर्णय

प्रतिलिपि

अधिकारी
जिला कोटा

मिलान किया

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

वादीगण द्वारा इस आशय का वाद प्रस्तुत किया गया कि ग्राम रजोपा तहसील पीपल्दा की जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 की खाता संख्या 40 मे खसरा संख्या 554 रकबा 1.24है. भूमि स्थित है। जिसे आगे वाद पत्र मे विवादित भूमि संबोधित किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रवर्तन में आने के समय धूलीलाल पुत्र गेन्दीलाल जाति ब्राह्मण सा. इटावा विवादित भूमि के गत खसरा संख्या 173 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि के माफीदार (भोक्ता) थे तथा मांगीलाल पुत्र माधो गूजर धूलीलाल का नौकर था। माफी रिज्यूम होने के समय माफीदार धूलीलाल उक्त भूमि पर स्वयं काबिज काश्त होने के कारण कानूनन खातेदार हो गया था। कालान्तर मे विरासतन उक्त भूमि नामान्तरकरण संख्या 129 द्वारा, भूरी बेवा कन्हैया लाल जाति ब्राहम्ण निवासी बाराँ की खातेदारी एवम् कब्जे काश्त मे चली गई। भूरी बेवा कन्हैयालाल जाति ब्राहम्ण निवासी बाराँ द्वारा उक्त खसरा संख्या 364 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा कृषि भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15–05–1979 के माध्यम से वादीगण के पिता एवम् पति हुकमचन्द पुत्र गंगाधर जाति कलाल निवासी इटावा को अपने सम्पूर्ण स्वत्वों सहित विक्रय कर दी गई। तदुपरान्त उक्त भूमि पर कैचमेन्ट कार्य सम्पन्न किये जाने से गत खसरा संख्या 364 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा कृषि भूमि के बाद कैचमेन्ट कटौती नवीन खसरा संख्या 501 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा कृषि भूमि दर्ज अभिलेख किया गया इसी प्रकार बाद बंदोबस्त सम्वत् 2041–2060 उक्त भूमि के नवीन संख्या संख्या 554 रकबा 1.24है. अंकित किये गये। हुकमचन्द पुत्र गंगाधर जाति कलाल निवासी इटावा की मृत्यु हो चुकी है तथा वादीगण ही स्व. हुकमचन्द के उत्तराधिकारी एवम् विधिक प्रतिनिधि है तथा विवादित भूमि पर खातेदार के रूप मे काबिज काश्त होकर विवादित भूमि का लगातार उपयोग – उपभोग करते हुये चले आ रहे है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रवर्तन के आने के समय विवादित भूमि स्पष्टतः राजकीय भूमि नही थी तथा तत्समय धूलीलाल पुत्र गेन्दीलाल जाति ब्राह्मण सा. इटावा विवादित भूमि के माफीदार (स्वामी) थे। माफी रिज्यूम होने के समय माफीदार धूलीलाल उक्त भूमि पर स्वयं काबिज काश्त होने के कारण कानूनन खातेदार हो गया था। कालान्तर इस प्रकार राज. काश्तकारी कानून द्वारा खातेदारी प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुये तत्कालीन खातेदार भूरी बेवा कन्हैयालाल जाति ब्राहम्ण निवासी बाराँ द्वारा विवादित भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15–05–1979 के माध्यम से वादीगण के पिता एवम् पति को अपने सम्पूर्ण स्वत्वों सहित विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया। राजस्व विभाग द्वारा विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख में त्रुटिवश "खाता सरकार" अंकन दर्ज अभिलेख कर दी गई। उक्त "खाता सरकार" अंकन वादीगण के खातेदारी अधिकारों के विरूद्ध वस्तुतः शून्य प्रभावी है। इसलिए वादीगण को यह विधिक

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

अधिकार प्राप्त है कि वह इस सम्मानीय न्यायालय की सहायता से, विवादित भूमि में हो रहे "खाता सरकार" अंकन को विलोपित करवायें। तदर्थ श्रीमान की सेवा में वाद पत्र प्रस्तुत है। वर्तमान राजस्व अभिलेख मे विवादित भूमि अवैध रूप से हो रहे "खाता सरकार" अंकित होने से वादीगण को राज्य शासन की कृषक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है तथा वादीगण विवादित भूमि पर कृषि ऋण सुविधा इत्यादि प्राप्त कर कृषि विकास भी नहीं कर पा रहे है। वाद कारण 23/02/2021 को प्रतिवादी तहसीलदार पीपल्दा द्वारा राजस्व अभिलेख में हो रही उक्त त्रुटि को दुरस्त कर "खाता सरकार" अंकन को विलोपित करने से मना करने पर उत्पन्न हुआ। प्रतिवादी तहसीलदार तहसील पीपल्दा को धारा 80 दी.प्र.सं. के अधीन विधिक सूचना दिनांक 24/02/ 2021 को प्रेषित की जा चुकी है। किन्तु वादी की दशाऐं आपातिक है। उक्त अंकन के कारण वादी को उक्त भूमि पर कृषि ऋण प्राप्त नहीं हो पा रहा हे। जिसकी वादीगण को महती आवश्यकता है। इसलिए वाद धारा 80 (2) दी.प्र.सं. के प्रावधानो के अधीन प्रस्तुत किया जा रहा है। वाद नियत न्याय शुल्क 1रू. पर अवधि मध्य प्रस्तुत है। माननीय न्यायालय को प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार एवम् क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अन्त में निवेदन किया कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित विवादित भूमि मे हो रहे "खाता सरकार" अंकन को विलोपित करने का तथा वादीगण विवादित भूमिका खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करने का आदेश तहसीलदार पीपल्दा को प्रदान किया जावे। वाद पत्र के साथ प्रमाणित सेटलमेन्ट जमाबन्दी सम्वत् 2015–24 खाता संख्या 110 ग्राम रजोपा, प्रमाणित जमाबन्दी सम्वत् 2035–38 खाता संख्या 107 ग्राम रजोपा, पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15.05.1979 की फोटोकापी, प्रमाणित प्रतिलिपि नामान्तरकरण संख्या 216 दिनांक 21.01.1984, प्रमाणित नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम रजोपा खसरा संख्या 554, प्रमाणित सेटलमेन्ट जमाबन्दी सम्वत् 2041–60 खाता संख्या 165 ग्राम रजोपा, प्रमाणित ऑनलाइन जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 245 ग्राम रजोपा, विधिक सूचना अर्न्तगत धारा 80 दी.प्र.सं. दिनांक 24.02. 2021 प्रस्तुत किये गये।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन की जाकर तहसीलदार तहसील पीपल्दा से जवाब सरकार प्राप्त किया गया। तहसीलदार पीपल्दा द्वारा जवाब सरकार में कथन किया गया कि मुताबिक जमाबन्दी ग्राम रजोपा के खाता संख्या 245 कल्याणीबाई पत्नि स्व. हुकमचन्द, दामोदर पुत्र, लालचन्द पुत्र, जसोदा पुत्री, धनराज पुत्र, राधेश्याम पुत्र, सावित्रीबाई पुत्री स्व. हुकमचन्द जाति कलाल निवासी श्योपुर तह. व जिला श्योपुर (म.प्र.) खातेदार खाता सरकार ख.सं.

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

554 रकबा 1.24है0 किस्म नहरी प्रथम दर्ज रिकार्ड है। मौके पर उपस्थित पडौसी खातेदारों ने बताया कि उक्त खसरा नम्बर पर उपरोक्त खातेदार ही काश्त कर रहे हैं। मौके पर आराजी ख.सं. 554 रकबा 1.24है0 पर मौके पर चना की फसल खडी है। लगभग 20–25 वर्षो से उपरोक्त खातेदारों द्वारा ही काश्त की जा रही है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड अनुसार कोई स्थगन नहीं है। अतः उक्त प्रकरण में वांछित जवाब सरकार अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं जवाब सरकार का अवलोकन किया गया। खाता सरकार के पश्चात् जमाबन्दी में खातेदार का नाम दर्ज है। मुताबिक जवाब सरकार भूमि पर वादीगण का ही कब्जा हैं। जमाबंदी मे खाता सरकार किस कारण दर्ज है यह स्पष्ट करना सरकार पैरोकार का दायित्व था, परंतु सरकार पैरोकार ने अपने जवाब में यह कही स्पष्ट नहीं किया है कि खाता सरकार जमाबंदी में क्यों लिखा है। खाता सरकार जमाबंदी में लिखा होना औचित्यहीन है।, मुताबिक राजस्व सैटलमेन्ट के पूर्व से ही वादीगण की जमाबंदी में एन्ट्री है। अतः वैसे भी बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ वादीगण विवादित आराजी के खातेदार कृषक हो गये है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम रजोपा तहसील पीपल्दा की खसरा संख्या 554 रकबा 1.24है. कृषि आराजी पर से "खाता सरकार" अंकन को विलोपित किया जाकर वादीगण को स्पष्ट रूप से खातेदार कृषक उक्तानुसार घोषित किया जाता है। रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री मुर्तिब की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

उपखण्ड अणिकारी
इटावा

सत्य प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत (आर.ए.एस.)

1. कल्याणीबाई पत्नि स्व. हुकमचन्द जाति कलाल निवासी श्योपुर तह. व जिला श्योपुर (म.प्र)
2. जसोदा पुत्री हुकमचन्द जाति कलाल निवासी श्योपुर तह. व जिला श्योपुर (म. प्र.)
3. दामोदर पुत्र हुकमचन्द जाति कलाल निवासी श्योपुर तह. व जिला श्योपुर (म.प्र.)
4. धनराज पुत्र हुकमचन्द जाति कलाल निवासी श्योपुर तह. व जिला श्योपुर (म.प्र.)
5. पूरनचंद पुत्र हुकमचन्द जाति कलाल निवासी श्योपुर तह. व जिला श्योपुर (म.प्र.)
6. राधेश्याम पुत्र हुकमचन्द जाति कलाल निवासी श्योपुर तह. व जिला श्योपुर (म.प्र.)
7. लालचन्द पुत्र हुकमचन्द जाति कलाल निवासी श्योपुर तह. व जिला श्योपुर (म.प्र.)
8. सावित्रीबाई पुत्री हुकमचन्द जाति कलाल निवासी श्योपुर तह. व जिला श्योपुर (म.प्र.)

वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

प्रतिवादी

वाद अर्न्तगत धारा 88, 89, 92ए, 188 आर. टी. एक्ट

मिसल न0 25/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रुबरु बहाजिरी श्री कमल कुमार बंसल एडवोकेट मिनजाबिन मुद्दई रुबरु ..... मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम रजोपा तहसील पीपल्दा की खसरा संख्या 554 रकबा 1.24है. कृषि आराजी पर से "खाता सरकार" अंकन को विलोपित किया जाकर वादीगण को स्पष्ट रूप से खातेदार कृषक उक्तानुसार घोषित किया जाता है। रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। डिक्री मेरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक 19.05.2023 को जारी किया गया।

| मिलान स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मुद्दई | रुपये | पैसे | मुदायलह | रुपये | पैसे |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजूह सबूत | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| मेहनताना वकील | | | मेहनताना वकील | | |
| खर्चा गवाहान | | | खर्चा गवाहान | | |
| बाबत् इजराय हुक्मनामा | | | बाबत् इजराय हुक्मनामा | | |
| मुत0 | | | मुत0 | | |
| मिलान | | | मिलान | | |

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा